UPMO280018722021

न्यायालय अपर मु ख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (उत्तर रेलवे) मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी- सर्वेश कुमार मिश्र **(**उ **0** प्र **0** न्यायिक सेवा- **2073)**

वाद संख्या- **1479/2021**

राज्य **प्रति** आरिफ।

अ०सं0 -06/2021

धारा-356/411 भारतीय दंड संहिता।

थाना– जी.आर.पी. मुरादाबाद।

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/अभियुक्त **आरिफ** की ओर से जुर्म स्वीकारोक्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वह स्वेच्छापूर्वक जुर्म इकबाल कर रहा है। प्रार्थी बहुत ही गरीब व्यक्ति है। वह प्रस्तुत प्रकरण को आगे चलाने में असमर्थ है। प्रार्थी पुनः ऐसा कोई अपराध कारित नहीं करेगा। प्रार्थी को कम से कम जुर्माने से दंडित कर उसका मुकदमा समाप्त करने कृपा करें।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त का जुर्म इकबाल बयान अंकित किया गया जिसमें अभियुक्त ने स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार किया एवं जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर कम से कम जुर्माने से दंडित कर उपरोक्त वाद को समाप्त किए जाने की याचना की गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा की गयी जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त प्रस्तुत मामले में दोषसिद्ध किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **आरिफ** को अपराध संख्या-06/2021 अंतर्गत धारा 356 /411 भारतीय दंड संहिता के प्रकरण में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जता है। पत्रावली दंड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु लंच बाद पेश हो।

दिनांक 30.06.2026

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।

JO CODE UP2073

दिनांक 30.06.2026

पत्रावली पुनः लंच पश्चात पेश हुयी। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में पेश।

दंड के प्रश्न पर मैने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन पक्ष को सुना। ।

अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उसे अधिकतम प्रावधानित दंड से दंडित किए जाने की याचना की गयी है।

बचाव पक्ष की ओर से यह कहा गया कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्त पर उसके परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी है, अभियुक्त बहुत ही गरीब व्यक्ति है। वह प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में जेल में रह चुका है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इन अभिकथनों के साथ अभियुक्त को

न्यूनतम दंड से दंडित किए जाने अथवा न्यायालय यदि उचित समझे तो अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिए जाने की याचना की गयी है।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा अभियुक्त के किसी आपराधिक इतिहास का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में दोषसिद्धि का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वेच्छापूर्वक अपने जुर्म का इकबाल किया गया है। अभियुक्त आगे अपना मुकदमा चलाने में असमर्थ है। अभियुक्त की ओर से उसका कोई आपराधिक इतिहास न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में लगभग 08 दिन जेल में रह चुका है। इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कारित किया गया अपराध 07 वर्ष की सजा से कम दंडनीय है। **विधि का सुधारात्मक सिद्धांत यह कहता है कि" यदि कोई अपनी गलती पर पश्चाताप करता है और सुधारना चाहता है तो जीवन में उसे इसका एक अवसर दिया जाना चाहिए।"** न्यायालय की राय में अभियुक्त की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा- 356 /411 भारतीय दंड संहिता हेतु दोषसिद्ध पर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना विधिसम्मत है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **आरिफ** को मुकदमा अपराध संख्या 06/2021 तर्गत धारा-356 /411 भारतीय दंड संहिता थाना जी.आर.पी. मुरादाबाद के तहत दोषी पाते हुए अभियुक्त द्वारा की गयी जुर्म स्वीकारोक्ति, उसके पश्चाताप को दृष्टिगत रखते हुए परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 का लाभ देते हुए **06** माह की अवधि हेतु परिवीक्षा पर इस शर्त के साथ छोडा जाता है कि दौरान परिवीक्षा अभियुक्त सदाचरण बनाए रखेगा तथा कोई अपराध कारित नहीं करेगा। शर्त भंग होने की दशा में न्यायालय द्वारा अभियुक्त को तलब कर उचित दंडादेश पारित किया जाएगा।

अभियुक्त **आरिफ** द्वारा मु0 25,000/- रुपए का निजी बंधपत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ उसे छोडा जाता है कि वे 15 दिन के भीतर जिला प्रोबेशन अधिकारी मुरादाबाद के समक्ष मु0 25,000/- रुपए की धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल करेगा।

उपरोक्त निर्णय की प्रति अविलंब दोष सिद्ध अभियुक्त को उपलब्ध करायी जाए तथा निर्णय की एक प्रति जिला प्रोबेशन अधिकारी मुरादाबाद को प्रेषित की जाए।

दिनांक 30.06.2026

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।
JO CODE UP2073

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक 30.06.2026

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
उत्तर रेलवे, मुरादाबाद।
JO CODE UP2073

आशुलिपिक–हरगोविन्द सिंह।
हस्ताक्षर